



राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग,  
महात्मा गांधी नरेगा (अनुभाग-3), शासन सचिवालय, जयपुर  
(Phone : 0141-2227956, 2227170 E-mail: pdre\_rdd@yahoo.com)



क्रमांक: एफ 40(141)ग्रावि/नरेगा/Budget Announ.23-24/Inter. tiles road/2023

जयपुर, दिनांक:

15 MAY 2023

जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं  
जिला कलक्टर, समस्त।

**विषय :-** बजट घोषणा वर्ष 2023-24 के तहत आगामी 3 वर्षों में चरणबद्ध रूप से प्रत्येक ग्राम के गहन आबादी क्षेत्र में 1 किलो मीटर तक की इन्टरलॉकिंग ब्लॉक/टाईल सड़क के निर्माण बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट घोषणा वर्ष 2023-24 के तहत आगामी 3 वर्षों में चरणबद्ध रूप से प्रत्येक ग्राम के गहन आबादी क्षेत्र में 1 किलो मीटर तक की इन्टरलॉकिंग ब्लॉक/टाईल सड़क के निर्माण किये जाने की घोषणा की गई है। इस संबंध में निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं -

1. प्रस्तावित सड़क कार्य में IS : 15658 2006 में वर्णित प्रावधानानुसार निर्धारित गुणवत्ता की 100 एमएम मोटाई की इन्टरलॉकिंग टाईल्स (एम-35 for light traffic) की अच्छी गुणवत्ता के साथ सड़क निर्माण कार्य किया जावे।
2. प्रस्तावित कार्य स्थल का मौका निरीक्षण कर तदनुसार निर्धारित मापदण्डों के क्रम में यथोचित आईटम्स के साथ सड़क कार्य का कॉस सेक्शन निर्धारित कर निर्माण कराया जावे।
3. महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत पंचशाला योजना के अन्तर्गत निर्माणशाला के कार्य करवाये जा रहे हैं। इन्टरलॉकिंग सीमेंट कंक्रीट-ब्लॉक बनाने वाले केन्द्र से निर्धारित गुणवत्ता की इन्टरलॉकिंग सीमेंट कंक्रीट-ब्लॉक या टाईल्स प्राथमिकता से क्रय की जावे।
4. इस योजना के तहत ग्राम पंचायत मुख्यालय के आबादी क्षेत्र में स्थित मुख्य मार्ग में मौके की आवश्यकतानुसार सड़क कार्य कराया जावे।
5. सड़क कार्य का वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित होना आवश्यक है जिसमें कार्य का पूरा विवरण मय कहां से कहां तक (चैनेज सहित) वर्णित होना चाहिए।
6. यदि कार्य अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना अथवा पूरक वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा क्षेत्र की परिस्थिति के अनुसार कार्य की अति आवश्यकता है तो कार्य को संबंधित ग्राम पंचायत की ग्राम सभा, पंचायत समिति की साधारण सभा एवं जिला परिषद की साधारण सभा में अनुमोदन करवाकर पूरक वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित कराये। उसी के पश्चात कार्य की स्वीकृति जारी की जावे।
7. कार्य गांवों की उन्ही आन्तरिक सड़कों में प्रस्तावित किया जायेगा जहां आबादी है एवं मकान/भवन निर्मित है। यह कार्य गांव/ढाणियों को जोड़ने वाली सड़कों पर नहीं कराया जावे।
8. कार्य उन स्थानों पर प्रस्तावित नहीं किया जायेगा जहां पूर्व से सी.सी. सड़क अथवा इन्टरलॉकिंग ब्लॉक/टाईल सड़क अथवा खरंजा सड़क अथवा अन्य पक्की सड़क निर्मित है।

9. सड़क के निर्माण के साथ नालियों का निर्माण भी किया जाना चाहिए। आन्तरिक सड़कों में पूर्व से यदि नाली निर्मित हो तो उसका उल्लेख किया जाकर तदनुसार कार्य के तकमीने बनाये जावे।
10. सड़क निर्माण की अधिकतम चौड़ाई 3.00 मीटर रखी जाये, सड़क के दोनों तरफ नालियों का निर्माण किया जाये।
11. संबंधित निर्माता फर्म द्वारा इन्टरलॉकिंग सी.सी ब्लॉक की सप्लाई करते समय प्रत्येक लॉट के साथ Testing Certificate भी संलग्न करना होगा। जिसमें यह अंकित होगा कि ब्लॉक्स का निर्माण आई.एस मापदण्डों के अनुरूप है।
12. इन्टर लॉकिंग टाईल्स ब्लॉक सड़क निर्माण के कार्यों में इन्टर लॉकिंग टाईल्स ब्लॉक की स्ट्रेन्थ टेस्ट की रिपोर्ट (जिसमें यह भी अंकित हो कि ब्लॉक्स का निर्माण आई.एस मापदण्ड के अनुरूप है) आपूर्तिकर्ता से प्राप्त कर उपयोग में लिए जावे तथा पूर्व निर्देशानुसार नमूनों की गुणवत्ता की तकनीकी जाँच पंचायत समिति अथवा सार्वजनिक निर्माण विभाग की प्रयोगशाला/अन्य अनुमोदित प्रयोगशाला से पुनः रेण्डम जांच करवाई जावे। रिपोर्ट निर्धारित मापदण्ड अनुसार प्राप्त होने पर ही तदनुसार भुगतान की कार्यवाही की जावे।
13. यह सुनिश्चित किया जावे कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत इस कार्य के सम्पादन के कारण वित्तीय वर्ष में जिला स्तर पर सामग्री मद में 40 प्रतिशत से अधिक व्यय नहीं हो।
14. कार्य के सम्पादन हेतु आवश्यकता होने पर कन्वर्जेंस के तहत ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की योजनाओं अथवा अन्य राजकीय योजनाओं से राशि की व्यवस्था की जा सकेगी।
15. आंतरिक सड़को का निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व सभी अतिक्रमणों को दूर किया जाये ताकि नालियों का निर्माण उचित स्थान पर किया जा सके एवं अतिक्रमण रहित मार्ग का निर्माण हो सके।
16. इन्टरलॉकिंग सीमेन्ट कंक्रीट ब्लॉक/टाईल्स से निर्मित सड़क एवं नाली निर्माण के तकमीने मौके पर कार्य की वास्तविक स्थिति एवं तकनीकी रूप से आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुए तैयार किये जायेंगे एवं उसी के अनुरूप कार्य सम्पादित किया जाना होगा।
17. इन्टरलॉकिंग सीमेन्ट कंक्रीट ब्लॉक/टाईल्स सड़क निर्माण कार्यों के चयन की प्राथमिकता निम्नानुसार होगी -

वरीयता	स्थान	वरीयता	स्थान
प्रथम	ग्राम पंचायत मुख्यालय के आबादी क्षेत्र में	तृतीय	1000 से 2000 आबादी के गाँव
द्वितीय	2000 से अधिक आबादी के गाँव	चतुर्थ	1000 से कम आबादी के गाँव

18. इन्टरलॉकिंग सीमेन्ट कंक्रीट ब्लॉक/टाईल्स सड़क निर्माण कार्यों की जिलेवार गांवों की संख्या के लक्ष्य परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। कृपया जिला स्तर पर लक्ष्य अनुसार आंकलन कर ऐसे गांवों की सूची प्राथमिकतावार तैयार कर भिजवावें जिनमें इन्टरलॉकिंग सीमेन्ट कंक्रीट ब्लॉक/टाईल्स सड़क निर्माण कार्य करवाये जाने की आवश्यकता है।

उपरोक्त निर्देशों की पालना प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित की जावें।

  
 (शिवांगी स्वर्णकार)  
 आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रावि एवं परावि।
2. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रावि एवं परावि।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
5. वित्तीय सलाहकार, ईजीएस।
6. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।
7. अधिशाषी अभियन्ता, ईजीएस जिला परिषद, समस्त।

  
आयुक्त, ईजीएस



बजट घोषणा वर्ष 2023-24 के तहत आबादी क्षेत्र में 1 किलो मीटर तक की इन्टरलॉकिंग ब्लॉक/टाईल सड़क के निर्माण कार्य लिए जाने हेतु गाँवों के लक्ष्य -

क्र.सं.	जिला	गाँवों की संख्या
1.	अजमेर	150
2.	अलवर	276
3.	बांसवाड़ा	202
4.	बारां	164
5.	बाड़मेर	329
6.	भरतपुर	205
7.	भीलवाड़ा	246
8.	बीकानेर	123
9.	बून्दी	118
10.	चित्तौड़गढ़	232
11.	चुरू	121
12.	दौसा	149
13.	धौलपुर	110
14.	डूंगरपुर	131
15.	हनुमानगढ़	255
16.	जयपुर	293
17.	जैसलमेर	107
18.	जालोर	107
19.	झालावाड़	215
20.	झुन्झुनू	126
21.	जोधपुर	246
22.	करौली	119
23.	कोटा	118
24.	नागौर	214
25.	पाली	139
26.	प्रतापगढ़	134
27.	राजसमन्द	141
28.	सवाई माधोपुर	109
29.	सीकर	158
30.	सिरोही	65
31.	श्रीगंगानगर	405
32.	टोंक	159
33.	उदयपुर	333
<b>कुल गाँव</b>		<b>6000</b>